

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद

(नरेश बुनकर, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :- 31/2021
जीसीएमएस न:- 2021/98
दायर दिनांक :- 01/10/2021
निर्णय दिनांक :- 11/09/2023

अनवान

श्री धर्मसिंह पिता नाहरसिंह राजपुत, निवासी जवारिया, तहसील गढबोर, जिला राजसमंद

—अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गढबोर जिला राजसमन्द

— रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार गढबोर प्रकरण संख्या 70/2021 ना0क0

बअनवान सरकार बनाम धर्मसिंह निर्णय दिनांक 14.09.2021

उपस्थित :-

- 1—श्री गिरीश चन्द्र पुरोहित, अधिवक्ता अपीलान्त
- 2—श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता

—:: निर्णय ::—

निर्णय दिनांक 11.09.2023

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम जवारिया पटवार हल्का खरनोटा तहसील गढबोर जिला राजसमन्द में स्थित आराजी नम्बर 222 रकबा 0-02-00 भूमि किस्म मगरी बिलानाम पर अतिक्रमण कर लिये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि से अतिक्रमी को बेदखल करने एवं भूमि पर अतिक्रमी मानते हुये लगान 1 रूपये का 50 गुणा शास्ति रूपये 50/- आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 14.09.2021 को पारित किया । अधिनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी ।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया है कि अपीलांट के राजस्व ग्राम जवारिया पटवार हल्का खरनोटा तहसील गढबोर जिला राजसमन्द में स्थित आराजी नम्बर 222 रकबा 0-02-00 भूमि किस्म मगरी बिलानाम पर अपीलान्त का अतिक्रमण बताते हुए धारा 91 की कार्यवाही हेतु तहसीलदार गढबोर के यहा रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर नोटिस प्रेषित किया और उसमें अपीलान्त के विरुद्ध बेदखली के आदेश पारित किया गया, जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया



(Handwritten signature)

गया आदेश न्याय एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में भारी विधिक भूल की है। अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि पर पिछले 30 साल से कब्जा आधिपत्य है। अपीलार्थी ने मौके पर पत्थरों का कोट बना रखा है, व कच्चा घर बना रखा है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट का अपने पिता के समय से ही कब्जा चला आ रहा है, और अपीलान्ट द्वारा उसका उपयोग कर रहा है। पटवारी हल्का द्वारा दुर्भावना पूर्वक रिपोर्ट की गई है। और फैसला होने के तुरन्त बाद ही पुलिस जाब्ता मांग कर कब्जा हटवाने की जल्द बाजी की जा रही है। अपीलान्ट गरीब व्यक्ति है, बेघर हो जायेगा। अपीलार्थी का मामला नियमन योग्य होते हुए भी अपीलार्थी को अतिक्रमी मानने में त्रुटि कारित की है। अपीलार्थी का 30 साल पुराना कब्जा आधिपत्य रेकॉर्ड से प्रमाणित है, अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे।

राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्व ग्राम जवारिया पटवार हल्का खरनोटा तहसील गढबोर जिला राजसमन्द में स्थित आराजी नम्बर 222 रकबा 0-02-00 भूमि किस्म मगरी बिलानाम पर अतिक्रमी द्वारा नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया गया। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त सुनवाई एवं दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरुद्ध जो निर्णय व कार्यवाही की गई हैं, वह उचित प्रतीत होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी सारी कार्यवाही विधिसम्मत है और अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावें।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस, प्रस्तुत विधिक नजीरों, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध, रिकार्ड, एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा राजस्व ग्राम जवारिया पटवार हल्का खरनोटा तहसील गढबोर जिला राजसमन्द में स्थित आराजी नम्बर 222 रकबा 0-02-00 भूमि किस्म मगरी बिलानाम पर अतिक्रमण है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956, की धारा-91, में की गई बेदखली की कार्यवाही तथा लगान 1 रूपये का 50 गुणा शास्ति रूपये 50/- आरोपित करने के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-91, के प्रावधानों व निर्धारित विधिक प्रक्रियानुसार होने से विधि सम्मत है, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं है, अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाता है, अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

नरेश बुनकर
(नरेश बुनकर)
11/09/2023

अति० जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 11.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया जो शामिल पत्रावली रहे संबंधित को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित हों। पत्रा० फैसल शमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर रहें।



नरेश बुनकर
(नरेश बुनकर)
11/09/2023

अति० जिला कलक्टर
राजसमन्द